भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4099
दिनांक 17 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता

4099. श्री हरीश चंद्र मीना :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 24(1)(क) के अंतर्गत पंचाट पारित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 25 लागू होती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6(1) के अंतर्गत 01.01.2014 से पूर्व (अर्थात् अधिनियम, 2013 के प्रवर्तन से पूर्व) घोषित किंतु 01.01.2014 के पश्चात् राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिनियम को उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत घोषित माना जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013)' की धारा 24(1)(क) में यह उपबंध है कि जहां भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (एलए अधिनियम, 1894) की धारा 11 के तहत कोई अधिनिर्णय नहीं किया गया है, वहां प्रतिकर के अवधारण से संबंधित आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के उपबंध लागू होंगे। तथापि, आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 25 में आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से अधिनिर्णय करने की समयावधि का उपबंध है। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 24(1)(क) के तहत शामिल मामलों के लिए आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 25 की अनुप्रयोज्यता का ऊपर संदर्भित उपबंधों में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत शुरू किए गए किसी भी भूमि अर्जन पर आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की अनुप्रयोज्यता इस बात पर निर्भर करती है कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत कोई अधिनिर्णय किया गया है या नहीं। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 में भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6(1) के तहत की गई घोषणा पर विचार करने संबंधी कोई उपबंध अंतर्विष्ट नहीं है, जैसा कि आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत घोषित किया गया है।
